

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2798]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2015/पौष 3, 1937

No. 2798]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2015/PAUSA 3, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2015

सं 29/2015-2020

विषय: प्याज की निर्यात नीति— प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) को हटाना।

का.आ. 3519(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं० 73 (आर ई-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 26/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं० 26 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं० 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के बगैर अनुमत होगा।"

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के बगैर निर्यात की जा सकती हैं।

[फा.सं. 01/91/180/922/एएम08/पीसी-3/निर्यात सैल]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2015

No. 29/2015-20**Subject:- Export Policy of Onions- Removal of Minimum Export Price (MEP) on Onions.**

S.O. 3519(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 26/2015-20 dated 11.12.2015 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009-14 dated 12.03.2014 relating to export of onion.

2. Para 2 of Notification No. 26 dated 11.12.2015 is amended to read as:

“Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted without any Minimum Export Price (MEP).

3. Effect of this notification:

All varieties of onions as described above can be exported without any Minimum Export Price (MEP).

[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade